Name of the State	1993-94 Achievement	1994-95 Achievement	1995-96 Achievement	1996-97 Achievement	1997-98* Achievement
Uttar Pradesh	47722	50908	159073	139801	80958
West Bengal	13389	15526	34278	34722	29490
A & N Islands	21	21	21	78	6
D & N Haveli	60	59	13	50	100
Daman & Diu	13	45	62	92	38
Lakshadweep	0	0	10	105	60
Pondicherry	48	0	36	113	199
TOTAL	372535	390482	863889	806290	641325

*Provisional

Achievements made under PMRY

857. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA:
SHRI BARJINDER SINGH HAMDARD:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Banks way behind in meeting Rojgar Yojana Targets" published on 1st March, 1998 in the daily Business Standard;

(b) if so, whether it is a fact that Prime Minister Rozgar Yojana's targets would not be achieved during the last few years; and

(c) if so, what targets were fixed and the achievements made under PMRY during 1995-96, 1996-97 and 1997-98?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) No, Sir. The Business Standard Limited have reported that they had no publication of Business Standard on Sunday the 1st March, 1998.

(b) and (c) Do not arise.

बिहार में पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव

858. श्री ईश दत्त यादव: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में अभी तक पंचायत समिति, जिला परिषद् और उनके मुखिया तथा सरपंच के चुनाव न कराये जाने के क्या कारण हैं जबकि उन निकायों के गठन से छह माह की अवधि के भीतर चुनाव कराए जाने अनिवार्य हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में किसी न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वहां ये चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रलय के राज्य मंत्री (श्री बाबा गौड़ा पाटिल): (क) से (ग) पटना उच्च न्यायालय ने 1994 की जी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 3351 और सदृश मामलों को बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के कतिपय उपबंधों को खारिज करके रिट याचिकाओं का निपटान कर दिया था। उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित उपबंधों को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि यादवों, कोरियों और कुर्मियों जैसे कतिपय वर्गों जिनका राजनीतिक रूप से अच्छा प्रतिनिधित्व है को निकालकर पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना चाहिए और समग्र आरक्षण को भी 50% तक सीमित किया जाना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय ने पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के खण्ड 15(7) में निहित उपबंधों को भी इस आधार पर खारिज कर दिया कि ये एकमात्र पद हैं और इनको आरक्षण देने का अभिप्राय शत-प्रतिशत आरक्षण देना होगा। बिहार सरकार ने एस.एल.पी. सं. 9724-9728, 9819-9825 के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया। दिनांक 22-07-1997 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया।

"चूंकि भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 की